



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128542

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-19863 वर्ष 2026

नबीलआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रमा शंकर मिश्र

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमा शंकर मिश्र को सुना, जिन्होंने अनुपूरक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है, तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को भी सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-384 वर्ष 2026, धारा 109(1), 132, 3(5), बी.एन.एस., शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27/35 तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20 के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समान

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् अब्दुल्ला, बिलाल, शहरीन, आफताब उर्फ कप्तान तथा गुड़िया को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-19633 वर्ष 2026, 19641 वर्ष 2026, 19410 वर्ष 2026, 19733 वर्ष 2026 तथा 20063 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 05.06.2026, 05.06.2026, 10.06.2026, 15.06.2026 एवं 17.06.2026 के आदेशों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि आवेदक के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथ-पत्र के अनुच्छेद 3 से 6 में दिया गया है तथा वह दिनांक 09.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् अब्दुल्ला, बिलाल, शहरीन, आफताब उर्फ कप्तान तथा गुड़िया को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् अब्दुल्ला, बिलाल, शहरीन, आफताब उर्फ कप्तान तथा गुड़िया को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उसके प्रवर्तन पर स्थगनादेश पारित किया गया है, साथ ही आवेदक दिनांक 09.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक-**नबील**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का अधियाचन प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के बिना वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में नियत तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे आचरण को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई उपर्युक्त टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 22 जून, 2026

नितेन्द्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”